समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म0प्र0)

निगरानी-2735/2018/मंदसौर/भू.रा. निगरानी प्रकरण क्र0 ______ /2018

कैम्प उज्जैन में अभि. श्री ए.आर. यादव जी द्वारा प्रस्तुत। 20/4/18

अर्जुनसिंह पिता रूपसिंहजी सौंधिया राजपूत,
निवासी– ग्राम गर्रावद तहसील मल्हारगढ़
जिला– मन्दसौर (म0प्र0) —— निगरानीकर्ता

//विरूद्ध//

1. जुझारसिंह पिता रामसिंहजी सौंधिया राजपूत,
2. विक्रमसिंह पिता जुझारसिंहजी सौंधिया राजपूत,

निवासीयान– ग्राम गर्रावद तहसील मल्हारगढ़
जिला– मन्दसौर (म0प्र0) —— विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959.

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मल्हारगढ़ टप्पा संजीत के प्रकरण क्रमांक 02/अ–13/2015–16 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16/03/2018 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निवेदन करते हुए निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नवत प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यह कि वर्तमान निगरानी के विपक्षीगण एवं अधीनस्थ न्यायालय में मूल आवेदकगण जुझारसिंह व विक्रमसिंह जो आपस में पिता–पुत्र हैं, ने अपनी मौजा गर्रावद के सर्वे क्रमांक 246 व 190 की भूमि पर आने–जाने के लिए ग्राम गर्रावद के आबादी क्षेत्र के पश्चिम दिशा से कान्या कुआ के पास से होकर आगे सर्वे क्रमांक 195

निरन्तर . . . 2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2725/मंदसौर/2018/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	